राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक : 21 सितंबर, 2017

विषय :- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, में घोषणा प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने बाबत्।

क्रमांक / सीजीजीएसटी / 01 / 2017 (ि 8) —छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, प्ररूप जीएसटी टीआरएएन—1 में घोषणा प्रस्तुत करने की अविध 31 अक्टूबर, 2017 तक बढ़ायी जाती है।

(सँगीता पी.) राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

Commissioner of State Tax Chhattisgarh, Raipur

Raipur, 21st September, 2017

Subject: Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 under rule 117 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017

In exercise of the powers conferred by rule 117 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, on the recommendations of the Council, the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** is extended till 31st October, 2017.

(Sangeetha P.)
Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur